ज्ञापांक–724/तक0. / 2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–08वीं फरवरी 2022

सेवा में,

Mr Priya Ranjan,
DALMIA CEMENT BHARAT LIMITED,,
M/S DALMIA CEMENT BHARAT LTD. (BOKARO CEMENT MANUFACTURING WORKS) PLOT NO : IV/A-7P4 BOKARO INDUSTRIAL AREA, PHASE - 4, PO - BALIDIH, DISTRICT-BOKARO, JHARKHAND - 827014

विषयः– **मौजा–Gorabali, प्लॉट नं0–781P,779P,777F,778P,782P,784P,783P, 880P,850P,884F,852P,776P,887P,882F,881F,879F,878F,891F,883F,875F,874F,863F,861F,862F,960P,866F,867P,893P,890F,892F,885F,886F,873F,864F,865F,851P,888P,868P,858P,876F,871F,957P,870P,958F, खाता नं0–134, 76, 177, 46, 45, 171, 47, 145, 78, 65, 135, 72, वार्ड नं0–N/A, थाना–14 (Jaridih), जिला–बोकारो में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित फैक्ट्री भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, बोकारो के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–37 दिनांक–06.01.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. निर्मित फैक्ट्री भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री भवन के चारों तरफ 150mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
4. फैक्ट्री के सभी स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक–एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. फैक्ट्री भवन के प्रत्येक हिस्से में पहुँचने के लिये अथवा निकास के लिये कम से कम 02 मीटर चौड़ा Escape Route अवश्य बनाकर रखा जाय।
6. Crussing Area में Dust Explosion न हो इससे बचने के लिये Explosion vent एवं Dust Accumulator लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. Raw Material Handling Area में 25-25 के0जी0 क्षमता का ट्रॉली टाईप ABC अग्निशामक यंत्र प्रत्येक 50 फीट की दूरी पर रखे जाने की व्यवस्था रखी जाय।
8. फैक्ट्री भवन के चारों तरफ फायर टेण्डर मुवमेंट की व्यवस्था की जायेगा।
9. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
10. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
11. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।

12.फैक्ट्री के सभी Office को एड्रेसेबल टाईप डिटेकशन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
13.अग्निशमन कार्य हेतु एक अदद 2850 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
14.समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
15.ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
16.जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17.पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
18.इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
19.फैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिीशियन से हीं कराया जाय।
20.भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार–चार अदद डी0सी0पी0 एवं 04.5 के0जी0 क्षमता के सी0ओ0टू0 04-04 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21.फैक्ट्री भवन के मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Auto Modular Fire extinguisher से सुरक्षित किया जाय। ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
22.भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23.फैक्ट्री भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
24.निर्मित फैक्ट्री स्थल के बीचे–बीच से हाई टेन्शन तार पार किया है। फैक्ट्री भवन से हाई टेन्शन तार को हटाने के बाद ही आपको अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–निर्गत किया जायेगा।
25.फैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
26.फैक्ट्री ावन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
27.अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
28.फैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
29.राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.02.08 18:51:31 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।